राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,चकराता, देहरादून

ईमेलः anilknsd@yahoo.com फोन न0 : 9411141131

अनुसूचित जनजाति परिवारों के कौशल विकास एवं आजीविका संवर्द्धन हेतु प्रस्तावों का आंमत्रण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकराता, देहरादून के द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति परिवारों के आजीविका संवर्द्धन एवं कौशल विकास हेतु नावाचार प्रस्तावों का आमंत्रण करती है। प्रस्तावों को संस्थान द्वारा आंकलन कर स्वीकृति हेतु निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना है। इच्छुक संस्था/ऐजेन्सी अपना प्रस्ताव दिनांक 18.05.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पो॰ओ॰ सुजऊ चकराता, देहरादून 248123 में जमा कर सकते है। परियोजना की विस्तृत जानकारी www. socialwelfare.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

कार्याशाला अधीक्षक

परियोजना प्रस्ताव प्रपत्र

संस्था का विवरण:

1. परियोजना प्रस्ताव शीर्षक
2. संस्था का नाम पता एवं सम्पर्क विवरण:
3. वैधानिक स्थिति:
4. उत्तरदायी व्यक्ति का नाम पता एवं फोन न0:
5. परियोजना हेतु आवेदित जनपद एवं विस्तृत विवरण।
6. संस्था का संक्षिप्त इतिहास
7. कुल अनुभव : अन्य सरकारी संस्थान/विभाग द्वारा परियोजना/प्रशिक्षण विवरण
8. स्वयं के संसाधनों से किया हुआ प्रशिक्षण कार्य विवरण/अनुभव।
9. ऐजेन्सी की क्षमता एवं अवस्थापना विवरण।
10. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार आदिम जनजाति की महिलाओं की आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार से सम्बन्धित विवरण।
11. परियोजना हेतु स्टाफ विवरण।

परियोजना विवरण:

1. परियोजना का नाम
2. परियोजना प्रस्तावना विवरण
3. परियोजना उद्देश्य
4. तर्कसंगत औचित्य
5. लाभार्थी विवरण
6. परियोजना क्षेत्र
7. परियोजना का क्रियान्वयन विवरण।
8. प्रक्षेपित समय सीमा (शुरु एवं समापन)
9. परियोजना से होने वाले अपेक्षित परिणाम तथा उसके प्रभाव।
10. परियोजना हेतु संभावित बजार व्यवस्था/क्षमता एवं विश्लेषण।
11. लागत विवरण।

परियोजना प्रस्ताव हेतु संस्थान की अर्हतायें:

- संस्था का रजिस्ट्रेशन न्यूनतम तीन साल पुराना होना चाहिये।
- संस्था उत्तराखण्ड राज्य में विगत 3 वर्षों से कार्यरत होनी चाहिये।
- संस्था का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 10 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिये।
- विगत तीन वर्षों का आयकर रिर्टन जमा होना चाहिये।
- पैन, टैन एवं जी.एस.टी. रजिष्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- संस्था किसी विभाग एवं ऐजेन्सी की काली सूची में दर्ज नही होना चाहिये।
- संस्था के पास उत्तराखण्ड राज्य में अपना कार्यालय होना चाहिये।

चेकलिस्ट सूचीः

- ऐजेन्सी का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं स्मृति पत्र।
- ऐजेन्सी की क्षमता एवं अनुभव स्टाफ, आधारभूत संरचना, राज्य में कार्यानुभव, तथा प्रचालन क्षेत्र का विवरण, कार्यानुभव विवरण।
- ऐजेन्सी का राज्य में प्रचालन क्षेत्र। विगत तीन वर्षों में पर्वतीय जनपदों में कार्य करने का प्रमाण प्रस्तुत करे।
- सरकारी अनुदान एवं परियोजनाओं के अलावा प्रशिक्षण कार्य का अनुभव तथा प्रशिक्षण विवरण।
- राज्य विगत तीन वर्षों की आडिट रिर्पोट एवं बैंलेन्स सीट, आय व्यय तथा प्राप्ति एवं भुगतान रिपोर्ट चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा सत्यापित प्रति।
- रिपोर्ट चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा जारी विगत तीन वर्षों का टर्नओवर सर्टिफिकेट।
- विगत तीन वषों की प्रगति विवरण।
- संस्था में कार्यरत स्टाफ की सूची।
- कार्यरत स्टाफ की वेतन आहरण का प्रमाण संलग्न करे।
- रू0 100/ के स्टाम्प पेपर पर नोटरी किया हुआ ऐजेन्सी द्वारा इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र कि संस्था किसी विभाग में काली सूची में दर्ज न हो एवं किसी भी विभाग में कार्य पूर्ण न होने की दशा में अथवा किसी कारण ऐजेन्सी से पैनेल्टी/जुर्माना न वसूला गया हो।
- परियोजना प्रस्ताव एवं संस्था द्वारा जमा किये गये सभी अभिलेखों एवं संलग्नकों की सी.डी./पेन ड्राइव इन्डेक्स सूची के अनुसार।
- राज्य की अनुसूचित जनजाति के परिवारों के साथ प्रशिक्षण कार्य करने का अनुभव।
- इन्डेक्स सूची विवरण पृष्ठ संख्यानुसार प्रपत्र संलग्न करे।